न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 196/2021 निर्णय दिनांक :– 12.08.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. श्योजी पुत्र उकार जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. गोपी पुत्र जयकिशना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. नन्दकिशोर पुत्र गोपी जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रूपलाल पुत्र जयकिशना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. प्रहलाद पुत्र जयकिशना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. सोराज पुत्र रूपलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. अणदीलाल पुत्र रूपलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. छोटू पुत्र रूपलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. नोरत पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सुवालाल पुत्र प्रहलाद जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. पूजा पत्नि नोरत जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. गुड्डी पत्नि नन्दकिशोर जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. कोशल्या पत्नि रूपलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
13. मिश्रीलाल पुत्र भोजा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
14. मुकेश पुत्र रामलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
15. सरमा पत्नि रामलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

16. सोजी पुत्र करणा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
17. नीरज पुत्र सोजी जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
18. रणजीत पुत्र सोजी जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
19. लेखराज पुत्र किशना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
20. हीरा पुत्र किशना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
21. फोरू पुत्र किशना जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
22. प्रेमदेवी पत्नि सोजी जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0
23. गोकली पत्नि भोजा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण–

–उपस्थिति –

श्री शिवकुमार चावरिया
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 13 ता 23

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 392 खसरा नम्बर 30 रकबा 0.42 है0 खसरा नम्बर 58 रकबा 0.35 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम निवारिया पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान मे स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी मोके पर काबिज है तथा काश्त करता आ रहा है। प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 ता 23 का प्रार्थी की उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है तथा ना ही कब्जा है। प्रतिपक्षीगण के मन मे बेइमानी आ गई तथा प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है इस कारण प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 ता 23 मिलकर प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा प्रार्थी जब भी अपनी भूमि पर जाता है तो प्रतिपक्षीगण मिलकर प्रार्थी के आडे फिर जाते है तथा फसल बोने एवं मेडबंदी करने के लिये मना करते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त मे मजामहत करते है एवं लडाई झगडा करते है व मारपीट पर उतारू हो जाते है। प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को अपनी

भूमि को काश्त करने एवं कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करने से प्रार्थी अपनी भूमि को काश्त एवं मेडबंदी नही कर पा रहे जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। प्रतिपक्षीगण गिरोहबंद लडाकू झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण प्रतिपक्षीगण 1 ता 23 को उनके द्वारा किये जा रहे उक्त अवेध कृत्य से रोका जाना नितान्त आवश्यक है इस कारण प्रतिपक्षीगण 1 ता 23 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नौकर, चाकर, के प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा नही करें प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करें, भूमि मे से कोई वाहन नही निकाले, प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमा मे मेडबंदी करने से नही रोके तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की मजामहत करें। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पांबद नही किया गया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण 1 ता 23 को ता फैसला मूल वाद जरिये अस्थाई से पाबंद किया जावे कि वे स्वंय जरिये एजेंट, नोकर, चाकर के प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 392 खसरा नम्बर 30 रकबा 0.42 है0 खसरा नम्बर 58 रकबा 0.35 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम निवारिया पटवार हल्का निवारिया तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर जबरन कब्जा नही करें, प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करें, भूमि मे से कोई वाहन नही निकाले, प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमा मे मेडबंदी करने से नही रोके तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की मजामहत करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 13 ता 23 की ओर से श्री आर. एन. तुनगारिया ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 मे वाद एंवम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना स्वीकार हैं तथा शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नही हैं। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया सिद्व नही है। प्रार्थी को सफलता की कोई सम्भावना नही है तथा सुविधा का सन्तुलन व प्राईमा पेशी केस भी प्रार्थी के पक्ष में प्रबल नही है, सिद्व नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 में वादी की खातेदारी में होना स्वीकार हैं शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 गलत होने से स्वीकार नही है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.42 है0 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण नम्बर 13 के पिता भोजाराम पुत्र रामकरण बैरवा निवासी निवारिया को दिनांक 07.06.1993 में मुबलिग रूपये 12,500/–रूपये समक्ष गवाहन बेचान कर कब्जा अप्रार्थीगण नम्बर 13 के पिता भोजाराम को सम्भला दिया था, तभी से उक्त

भूमि पर अप्रार्थीगण नम्बर 13 के पिता भोजाराम का कब्जा बिना किसी बाधा के लगातार चला आ रहा था एवं अप्रार्थीगण नम्बर 13 के पिता भोजाराम की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण नम्बर 13 एवं अप्रार्थीगण नम्बर 13 के पारिवारिक सदस्य अप्रार्थीगण नम्बर 14 ता 23 का चला आ रहा है और आज भी मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 23 का ही है। वर्तमान में भी खरीफ की फसल ज्वार अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 23 ने ही काश्त कर रखी है। उक्त खसरा नम्बर 30 की भूमि पर या उसके किसी भू–भाग पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही है। बल्कि उक्त भूमि पर क्रय दिनांक 07.06. 1993 से आज दिन तक भोजाराम व उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 23 का चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में जमीनों की कीमत बढ जाने के कारण प्रार्थी के मन बेइमानी उत्पन्न हो गई और प्रार्थी द्वारा स्वंय द्वारा बेचान भूमि को हडपने की नियत से यह झूठा मनगढंन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र/वाद पेश किया है चलने योग्य नही है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 गलत है स्वीकार नही हैं। जब प्रार्थना पत्र/वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 30 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही होने से चरण अंकित कथन झूठे हैं इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 वर्णित किया गया गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 30 पर प्रार्थी का भूमि पर किसी भी भू–भाग पर कब्जा काश्त नही है। तो प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 23 को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है अर्थात नो पजेशन नो इंजेक्शन इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र/वाद चलने योग्य नही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 30 की संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 23 के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तथा उक्त खसरा नम्बर 30 से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण नम्बर 13 के पिता भोजाराम को बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने के दिन से प्रार्थी का उक्त भूमि से किसी तरह का कोई लेना देना एवं संबंध नही रहा है साथ ही प्रार्थी का किसी भी भू–भाग पर कब्जा काश्त नही होने से अप्रार्थीगण नम्बर 13 ता 23 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवा सकता इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज करने योग्य है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी कब्जेकाश्त करता आ रहा है परन्तु अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गई है जिसके कारण प्रार्थी की भूमि में मजामहत व बाधा उत्पन्न करते है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए तथा एक पंचनामा दिनांक 27.07.2021 व 4 शपथ पत्र निवारिया गांव के मौतविरान के

पेश किये। जिसके अनुसार श्योजी राम ने दिनांक 7.06.1993 को 28 वर्ष पूर्व भोजाराम को ख. नं. 30 में से 1 बीघा 10 बिसवा यानि 1.5 बीघा भूमि का बेचान भोजा राम को कर दिया था। भोजाराम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान काबिज काश्तकार है। परन्तु अब जमीन की कीमते बढ जाने के कारण प्रार्थी के मन व वचन में बेईमानी आ गई है जिसके कारण प्रार्थी ने यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायालय चाहे तो मौका रिपोर्ट मंगवाकर निर्णय कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 13 ता 23 की उक्त वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 13 ता 23 का ही कब्जा काश्त है। यहा No possession No injection का सिद्धांत लागू होता है अर्थात वादी का कब्जा नही होने से वह निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र सरासर झूठे तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के अनुसार ख. नं. 30 प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश दिनांक 27.07.2021 के पंचनामा व 4 शपथ पत्र निवारिया गांव के मौतबिरान से प्रथमदृष्टया ऐसा जाहिर होता है कि प्रार्थी ने उक्त भूमि में 1 बीघा 10 भूमि को बेचान किया है। सम्पूर्ण स्थिति नियमित वाद के दौरान साक्ष्य व सबूत के आधार पर तय हो सकेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और दोनो पक्षकारान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावे के साथ हमकिता हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली